न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **50/2024** दायर दिनाँक **01.03.2024**

वादीगण

1. गुलाम मोहम्मद पुत्र मांगू खॉ
2. रूकसाना बानों पत्नी मोहसीन खॉ

समस्त जाति कायमखानी निवासी निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला डीडवाना (राज.)

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. शबीर अली खॉ पुत्र बशीर खॉ
2. नबाब खॉ पुत्र मांगू खॉ
3. हाकम अली खॉ पुत्र बलू खॉ
4. नबाब खॉ पुत्र बलू खॉ
5. इकबाल खॉ पुत्र बलू खॉ
6. रहमान खॉ पुत्र उम्मेद खॉ
7. आरीफ खॉ पुत्र उम्मेद खॉ
8. उमदा बानो पत्नी उम्मेद खॉ
9. अमीना बानो पुत्री उम्मेद खॉ
10. सुवटी बेवा कलू खॉ
11. मुंशी खॉ पुत्र कलू खॉ
12. सतार खॉ पुत्र हमीद खॉ
13. बनु बानू पत्नी हमीद खॉ
14. रजीया बानो पुत्री हमीद खॉ
15. अनार बानू पुत्री हासम खॉ
16. जैतून बानू पुत्री हासम खॉ
17. नूर बानू पुत्री हासम खॉ
18. परवीन बानू पुत्री हासम खॉ
19. बतूल बानू पुत्री हासम खॉ
20. मुराद खॉ पुत्र हासम खॉ
21. यास्मीन बानू पुत्री हासम खॉ
22. रोशनी बानू पुत्री हासम खॉ
23. शहनाज बानो पत्नी लियाकत खॉ
   समस्त निवासीगण निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला डीडवाना (राज.)
24. तहसीलदार डीडवाना जरिये भूमिधारी राज्य सरकार

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री ईस्लामुद्दीन वकील वादीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:10:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय ::–

दिनाँक **12.0[illegible].2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है [illegible] सरहद मौजा निम्बी क[illegible] खेत खसरा सं. 239 रकबा 9.11 बिघा, जिसके नये खसरा सं. 454 रकबा 1.5400 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 204 रकबा 1.12 बिघा जिसके नये खसरा सं. 453 रकबा 0.0100

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **14.07.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/481 दिनॉक 09.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प. 1(12)रीडर/2025/481 दिनाँक 09.09.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

सरहद मौजा निम्बी कलां के खेत खसरा सं. 239 रकबा 9.11 बिघा, जिसके नये खसरा सं. 454 रकबा 1.5400 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 204 रकबा 1.12 बिघा जिसके नये खसरा सं. 453 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/481 दिनाँक 09.09.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः प.1(12)रीडर/2025/481 दिनाँक 09.09.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:10:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक **12.01.2026** को स... में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना